निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

प्रकरण संख्या 119 / अपील / 19

तारीख दायरा 10.10.2019

उनवान

1. पन्नालाल पुत्र नन्दा जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
2. आशाराम पुत्र भेरूलाल जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
3. भूली बाई पुत्री भेरूलाल जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
4. गुलाब बाई पुत्री भेरूलाल जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
5. घनश्याम पुत्र भंवरलाल जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
6. लीला पुत्री भंवरलाल जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना

— अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र भागचन्द जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
2. जगदीश पुत्र भागचन्द जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
3. गीता पुत्री भागचन्द जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
4. पाना पुत्री भागचन्द जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
5. कृष्णा बाई पुत्री भागचन्द जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
6. ग्राम पंचायत आवंलहेडा
7. मांगीलाल पिता नग्गा जाति लोधा निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील मनोहरथाना

— रेस्पोडेन्स

अपील बनारजगी नामांतकरण सं. 1055 दिनांक 07.08.2010 ग्राम पंचायत आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना

उपस्थिति :— श्री अशोक कुमार लववंशी (अपीलान्ट)
एक पक्षीय

निर्णय दिनांक 05.11.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट निम्न कारणों से अपील पेश करता है –

ग्राम आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना के हल की खाता संख्या 269 पुरानी 255 की खसरा संख्या 414 की 3.12 बीघा, 1036 की 0.11 बीघा, 1163 की 2.02 बीघा कुल 3 किता की 6 बीघा 5 बिस्वा आराजी रेस्पोडेंस 1 लगायत 5 व 7 के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 पेश है।

उक्त आराजी में खसरा संख्या 1163 की 2.02 बीघा आराजी में से मृतक खातेदार भागचन्द पिता श्यामा का हिस्सा 5/12 सम्पूर्ण अपीलान्ट नम्बर 1 स्वयं व अपीलान्ट नम्बर 2,3 व 4 के पिता भेरूलाल अपीलान्ट नम्बर 5,6,7 के दादा भेरूलाल ने दिनांक 21.06.2010

अधिकारी
जिला झालावाड़

P.T.O

को 20000/- रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। नकल रजिस्ट्री दिनांक 21.06.2010 पेश की है। उक्त आराजी में से खसरा संख्या 1163 की 2.02 बीघा आराजी में से मृतक भागचन्द का हिस्सा 5/12 अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता व दादा के द्वारा खरीद की गई आराजी का नामान्तकरण ग्राम पंचायत आवंलहेडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 1055 दिनांक 7.8.2010 के द्वारा खोला गया था। जिसको ग्राम पंचायत आवंलहेडा द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त आराजी खसरा संख्या 1163 सी.बी.आई. बैंक शाखा मनोहरथाना में रहन दर्ज है। ग्राम पंचायत आवंलहेडा ने बिना जांच किये नामान्तकरण खारिज कर दिया है जो गलत है। अपीलान्ट ने न्यायालय में उक्त आराजी खसरा संख्या 1163 की 2.02 बीघा आराजी को अपने खाते दर्ज करने बाबत नामान्तकरण अपील पेश की जो दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेंस को न्यायालय द्वारा तलब किया गया। रेस्पोडेन्स 1 लगायत 5 ने अपीलान्ट के खाते आराजी दर्ज कर दी जाये तो कोई आपत्ति नहीं है इस बाबत इकबाली जवाब दावा दिनांक 31.10.2019 को पेश किया तथा रेस्पोडेन्स नम्बर 6,7,8 सूचना बाबत अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्ट व अपीलान्ट अधिवक्ता को सुना गया। बाद सुनवाई यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम आंवलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल में खसरा संख्या 1163 की 2.02 बीघा आराजी में से 5/12 हिस्सा अपीलान्ट के खाते दर्ज किया जावें एवं नामान्तकरण संख्या 1055 दिनांक 7.8.2010 को बेअसर घोषित किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार तहसील मनोहरथाना अपीलान्ट के नाम ग्राम आंवलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल में खसरा संख्या 1163 की 2.02 बीघा आराजी में से 5/12 हिस्सा अपीलान्ट के खाते दर्ज किया जावें एवं नामान्तकरण संख्या 1055 दिनांक 7.8.2010 को बेअसर घोषित किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार तहसील मनोहरथाना अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण पुनः तस्दीक करे एवं रेस्पाडेन्स नम्बर 1 लगायत 5 का नाम खसरा सं. 1163 से कम किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री आदेश जारी हो, मिसल फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़
मनोहरथाना